क्रमांक 25/33/78–जी0 एस–1

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल, सभी उपायुक्त तथा उप मण्डल अधिकारी ।

2. रजिस्ट्रार पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट ।

दिनांक, चण्डीगढ़ 10 नवम्बर, 1978

विषय:– पंजाब सिविल सेवा नियमावली, जिल्द–II के रुल 2.2 (बी) में दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध उसकी सेवा निवृत्ति से पहले आरम्भ की गई विभागीय कार्यवाही का सेवा निवृत्ति के बाद भी जारी रखने के लिए मान-दण्ड का अपनाना।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर हरियाणा सरकार के अनुदेश क्रमांक 4500–1 जी0 एस0–75/25009, दिनांक 22 अगस्त, 1975 की ओर दिलाऊं जिसमें सरकार ने यह निर्णय किया था कि पंजाब सिविल सेवा नियमावली, जिल्द–II के रुल, 2.2 (बी) के तहत पैन्शन में कटौती के लिए किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध उसकी सेवा निवृत्ति से पहले आरम्भ की गई केवल ऐसी विभागीय कार्यवाही को उसकी सेवा-निवृत्ति के बाद जारी रखा जाए जोकि पंजाब सिविल सेवाएं (दण्ड तथा अपील) नियमावली, 1952 के नियम 7 (जो बड़े दण्ड के लिये हो ता है) के अन्तर्गत आरम्भ की गई हो तथा नियम 8 (जो लघु दण्ड के लिये होता है) के तहत आरम्भ की गई विभागीय कार्यवाही को सेवा-निवृत्ति के बाद जारी रखा जाए ।

2. अब सरकार ने यह निर्णय लिया है कि यदि वित्तीय हानि किसी गलत कार्यवाही या गफलत के कारण हो और उसकी सीधी जिम्मेवारी सेवा-निवृत्त कर्मचारी पर आती हो तो विभागीय कार्यवाही जो चाहे रुल 8 के अन्तर्गत आरम्भ हो की गई हो, को सेवानिवृत्ति के बाद भी जारी रखा जाए ताकि वित्तीय हानि की वसूली पैन्शन से की जा सके ।

3. उपर्युक्त हिदायतें इस सीमा तक संशोधित समझी जायें ।

4. आपसे अनुरोध है कि भविष्य में इन हिदायतों को ध्यान में रखा जाए तथा अपने अधीन कार्य कर रहे सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के ध्यान में भी ला दी जाए ।

5. कृपया इसकी पावती भेजी जाए ।

भवदीय,
हस्ता/-
उप सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

ऐक एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :–

वित्तायुक्त, तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।